

:: परिपत्र ::

विषय :- सौलहवीं राजस्थान विधान सभा के षष्ठम् सत्र के दौरान विधान सभा भवन में प्रवेश हेतु अस्थायी प्रवेश-पत्र एवं वाहन पास जारी करने बाबत।

सौलहवीं राजस्थान विधान सभा का षष्ठम् सत्र गुरुवार, दिनांक 20 अगस्त, 2026 को प्रातः 11.00 बजे पूर्वान्ह राजस्थान विधान सभा भवन, ज्योतिनगर, जयपुर में प्रारम्भ होने जा रहा है। विधान सभा सत्र के दौरान विधान सभा सदन में प्रवेश हेतु निम्नांकित निर्देश प्रदान किए जाते हैं :-

1. राजस्थान विधान सभा की राजकीय दीर्घा की सीमित सीटों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारी दीर्घा का प्रवेश-पत्र केवल विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/विभागाध्यक्ष एवं शासन उप सचिव स्तर के अधिकारियों को ही जारी किया जाएगा। सत्रावधि में अधिकारी दीर्घा में सदन के कार्य से संबंधित विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारी दीर्घा में नहीं बैठे ताकि सदन के कार्य से संबंधित विभागों के शासन सचिव, विभागाध्यक्ष को दीर्घा में प्रवेश के लिए काफी लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। कृपया इसका विशेष ध्यान रखा जावे।
2. विधान सभा में प्रवेश हेतु अस्थायी प्रवेश-पत्र जारी करने बाबत पत्र शासन उप सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा विधान सभा को भेजे जाने पर ही प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा। समस्त विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे अपने विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के न्यूनतम संख्या में प्रवेश-पत्र बनवाने का पत्र विधान सभा सचिवालय को भिजवाएं।
3. विधान सभा भवन में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु उच्च स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे स्वयं एवं उनके विभाग के अधिकारियों को भी विधान सभा द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के साथ उनकी विभागीय फोटो आईडेन्टिटी कार्ड भी आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें ताकि उनकी सही पहचान सुनिश्चित की जा सके, बिना पहचान सुनिश्चित किए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को विधान सभा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/विभागाध्यक्ष से यह भी अनुरोध है कि कृपया अपने स्वयं का तथा अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहनों हेतु विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए वाहन पास संबंधित वाहन पर निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य लगावें ताकि सुरक्षा की दृष्टि से उक्त वाहनों की विधान सभा परिसर में पार्किंग एवं निगरानी की उचित व्यवस्था की जा सके। वाहन पास नहीं बनवाए गए हो तो वाहनों के प्रवेश हेतु विधान सभा सचिवालय से सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व पास बनवा लें।


(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
6. जयपुर स्थित समस्त विभागाध्यक्ष।
7. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा-निर्देश संसदीय कार्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
10. रक्षित पत्रावली।


(प्रेम नारायण)

वरिष्ठ शासन उप सचिव